

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल. आर. गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 69/2016 – निगरानी

- | | | |
|---|------|--|
| 1. कन्हैयालाल पिता गीलूराम
पोरवाल निवासी बनेडा तहसील
बनेडा जिला भीलवाडा | बनाम | 1. श्री सुभाष पुत्र सोहनलाल पोरवाल
निवासी बनेडा
2. सीमा देवी पत्नी अनिल कुमार
छीपा निवासी बनेडा
3. सरपंच / सचिव , ग्राम पंचायत
बनेडा , पंचायत समिति बनेडा ,
तहसील बनेडा जिला भीलवाडा |
|---|------|--|

—निगराकार

— गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

निगरानी विरुद्ध निर्णय ग्राम पंचायत बनेडा संकल्प सं. 15 दिनांक 05.02.2016 पट्टा

क्रमांक 19 दिनांक 05.02.2016

1. श्री रमेश चन्द्र सारस्वत अधिवक्ता – निगराकार की ओर से उपस्थित
2. श्री दिनेश तिवाडी अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 01 की ओर से उपस्थित

निर्णय

दिनांक 28.04.2017

निगराकार की ओर से यह निगरानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत गैर निगराकारान के विरुद्ध दिनांक 5.10.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत बनेडा ने आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा क्रमांक 19 दिनांक 5.2.2016 गैर निगराकार सं. 1 के पक्ष में पुराने आवास के आधार पर नियम 157 के तहत जारी करने में विधि एवं तथ्यात्मक त्रुटि की हैं। ग्राम बनेडा में निगराकार के पिता व गैर निगराकार सं. 01 के दादा श्री गीलूराम पिता रामकरण पोरवाल के द्वारा अर्जित की गई आवासीय व औद्योगिक प्रयोजनार्थ पंचायत समिति बनेडा द्वारा मिसल सं. 35 संवत् 2035 में बिल एवज 701/-रु. में दिनांक 12.04.1981 को जरिये विक्रय प्राप्त की गई तथा सन 1981 से गीलूराम उक्त जायदाद जिसका क्षेत्रफल 100 बाई 100 फीट था, पर ग्राम पंचायत बनेडा से कब्जा प्राप्त कर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे थे। सन् 1984 में गीलूराम की मृत्यु उपरांत उनके पांच पुत्र सोहनलाल, मदनलाल, रामनिवास, निगराकार व ओमप्रकाश वारिस उत्तराधिकारी होकर उक्त जायदाद पर काबिज हो बतौर स्वामी उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। विपक्षी गैर निगराकार सं. 01 ने उक्त वादग्रस्त जायदाद का स्वामित्व विलेख बनाने के उद्देश्य से पट्टा विलेख ग्राम पंचायत से बनवाने की कहकर इस हेतु कुछ खाली स्टाम्प व कागजों पर निगराकार के हस्ताक्षर करवाये और यह आश्वासन दिया कि श्री गीलूराम के सभी उत्तराधिकारियों के नाम ग्राम पंचायत से पट्टा विलेख जारी करवाये जाने की कार्यवाही करवा रहे हैं। इस विश्वास से निगराकार ने भी अपने हस्ताक्षर विपक्षी सं. 01



के विश्वास पर कर प्रदत्त कर दिए, जबकि निगराकार ने अपना हक व हिस्सा न किसी को विक्रय किया और न ही समर्पित किया । विपक्षी सं. 01 ने गलत तथ्य विपक्षी सं. 03 के समक्ष प्रस्तुत कर और उनसे मिलीभगत करते हुए उक्त पुश्तैनी जायदाद का विक्रय विलेख पट्टा अपने नाम पर जारी करवाने की कार्यवाही कर दिनांक 05.02.2016 को उक्त पट्टा सं. 19 अपने नाम पर जारी करवा लिया । विपक्षी सं. 01 ने दिनांक 09.05.2016 को उक्त भूखण्ड में से 45 बाई 100 फीट कुल 4500 वर्गफीट क्षेत्र विपक्षी सं. 02 को विक्रय कर विक्रयपत्र का पंजीयन करवाया । विपक्षी सं. 01 के पक्ष में जारी पट्टा सं. 19 दिनांक 5.2.2016 सर्वथा विधि विपरीत व पुराने मकानों के विनियमितकरण के तहत पुश्तैनी मकान के आधार पर नियम 157 से जारी किया गया पट्टा व विक्रय विलेख शून्य हैं, क्योंकि उक्त जायदाद विपक्षी सं. 01 के दादा गीलूराम की होकर निगराकार व अन्य का भी बराबर हिस्सा होकर विपक्षी सं. 01 का मात्र 1/5 हिस्सा है । सम्पूर्ण जायदाद विपक्षी सं. 01 ने गलत व फर्जी तथ्यों व दस्तावेजात् के आधार पर पट्टा व विक्रय विलेख जारी करवाया हैं, जो निरस्त योग्य हैं । ग्राम पंचायत बनेडा ने वारिसान निगराकार को बिना सूचित किये हुए और जायदाद के पड़ौसन से छानबीन किए बिना पट्टा विक्रय विलेख जारी करवाया हैं, जो अवैध , शून्य होकर नियमों के विपरीत होने से और बिना नियमों की पालना किये हुए एम्पावर्ड कमेटी या पंचों की कमेटी के निर्णय अथवा कोरम की राय व निर्णय के बिना पारित किया गया यह संकल्प, पट्टा व विक्रय विलेख निरस्त योग्य हैं । ग्राम पंचायत ने संकल्प, पट्टा व विक्रय विलेख जारी करने से पूर्व जरिये आम सूचना द्वारा आपत्तियां आमंत्रित नहीं की और न ही इस हेतु विधि के प्रावधानों की पालना की । इस प्रकार नियमों व प्रक्रिया की अनदेखी कर पारित किया गया निर्णय , संकल्प व जारी किया गया पट्टा निरस्त योग्य हैं । अतः प्रार्थना है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी सं. 01 के पक्ष में विपक्षी सं. 03 द्वारा जारी संकल्प सं. 15 विक्रय विलेख पट्टा सं. 19 दिनांक 05.02.2016 खारिज फरमाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे ।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 17.10.2016 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड दिनांक 28.12.2016 को प्राप्त हुआ । गैर निगराकार सं. 01 व 02 की ओर से दिनांक 22.03.2017 को जवाब पेश किया गया ।

प्रस्तुत निगरानी में निगराकार व गैर निगराकार के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी ।

निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित बिन्दु सं. 1 से लगायत 11 के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि ग्राम पंचायत बनेडा ने आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा क्रमांक 19 दिनांक 5.2.2016 गैर निगराकार सं. 1 के पक्ष में पुराने आवास के आधार पर नियम 157 के तहत जारी करने में विधि एवं तथ्यात्मक त्रुटि की हैं। ग्राम बनेडा में निगराकार के पिता व गैर निगराकार सं. 01 के दादा श्री गीलूराम पिता रामकरण पोरवाल के द्वारा अर्जित की गई आवासीय व औद्योगिक प्रयोजनार्थ पंचायत समिति बनेडा द्वारा मिसल सं. 35 संवत् 2035 में बिल एवज 701/-रु. में दिनांक 12.04.1981 को जरिये विक्रय प्राप्त की गई तथा सन 1981 से गीलूराम उक्त जायदाद जिसका क्षेत्रफल 100 बाई 100 फीट था, पर ग्राम पंचायत बनेडा से कब्जा प्राप्त कर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे थे । विपक्षी गैर निगराकार सं. 01 ने

उक्त वादग्रस्त जायदाद का स्वामित्व विलेख बनाने के उद्देश्य से पट्टा विलेख ग्राम पंचायत से बनवाने की कहकर इस हेतु कुछ खाली स्टाम्प व कागजों पर निगराकार के हस्ताक्षर करवाये और यह आश्वासन दिया कि श्री गीलूराम के सभी उत्तराधिकारियों के नाम ग्राम पंचायत से पट्टा विलेख जारी करवाये जाने की कार्यवाही करवा रहे हैं। इस विश्वास से निगराकार ने भी अपने हस्ताक्षर विपक्षी सं. 01 के विश्वास पर कर प्रदत्त कर दिए, जबकि निगराकार ने अपना हक व हिस्सा न किसी को विक्रय किया और न ही समर्पित किया। विपक्षी सं. 01 ने गलत तथ्य विपक्षी सं. 03 के समक्ष प्रस्तुत कर और उनसे मिलीभगत करते हुए उक्त पुश्तैनी जायदाद का विक्रय विलेख पट्टा अपने नाम पर जारी करवाने की कार्यवाही कर दिनांक 05.02.2016 को उक्त पट्टा सं. 19 अपने नाम पर जारी करवा लिया। विपक्षी सं. 01 ने दिनांक 09.05.2016 को उक्त भूखण्ड में से 45 बाई 100 फीट कुल 4500 वर्गफीट क्षेत्र विपक्षी सं. 02 को विक्रय कर विक्रयपत्र का पंजीयन करवाया। विपक्षी सं. 01 के पक्ष में जारी पट्टा सं. 19 दिनांक 5.2.2016 सर्वथा विधि विपरीत व पुराने मकानों के विनियमितिकरण के तहत पुश्तैनी मकान के आधार पर नियम 157 से जारी किया गया पट्टा व विक्रय विलेख शून्य हैं, क्योंकि उक्त जायदाद विपक्षी सं. 01 के दादा गीलूराम की होकर निगराकार व अन्य का भी बराबर हिस्सा होकर विपक्षी सं. 01 का मात्र 1/5 हिस्सा है। सम्पूर्ण जायदाद विपक्षी सं. 01 ने गलत व फर्जी तथ्यों व दस्तावेजात् के आधार पर पट्टा व विक्रय विलेख जारी करवाया है, जो निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी सं. 01 के पक्ष में विपक्षी सं. 03 द्वारा जारी संकल्प सं. 15 विक्रय विलेख पट्टा सं. 19 दिनांक 05.02.2016 खारिज फरमाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे। निगराकार ने अपनी निगरानी के समर्थन में विधिक दृष्टान्त मनोहर सिंह बनाम स्टेट ऑफ राज. व अन्य 2012(5) WLC(Raj.)663 पेश किये हैं

गैर निगराकार सं. 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत बनेडा द्वारा विक्रय विलेख पट्टा जारी नहीं कर, पुराना आवासगृह का पट्टा नियमानुसार दिनांक 5.2.2016 को विधिवत् कार्यवाही कर जारी करने में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं की है एवं न ही विधि एवं तथ्यों की भूल की है। गैर निगराकार सं. 01 के दादा श्री गीलूराम पिता रामकरण द्वारा अर्जित किये गये उक्त आवासीय प्रयोजनार्थ जायदाद को श्री गीलूराम ने अपने जीवनकाल में ही गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में वसीयत कर दी थी और यह वसीयत दिनांक 03.11.1984 को की गई। श्री गीलूराम ने इस जायदाद में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करवाया। समस्त निर्माण, बाउण्ड्री वॉल व दरवाजा निवास और दुकान का निर्माण गैर निगराकार सं. 01 ने करवाया एवं नल - बिजली के कनेक्शन भी गैर निगराकार सं. 01 के नाम पर है। स्व. गीलूराम पोरवाल ने अपनी जायदाद का बंटवाडा दिनांक 29.5.1979 को कर दिया था एवं इसकी सहमति बाबत् निगराकार कन्हैयालाल पोरवाल, मदनलाल पोरवाल ओमप्रकाश पोरवाल एवं रामनिवास के पुत्र राजेश के हस्ताक्षर हैं। स्टाम्प भी वास्ते ईकरार ओमप्रकाश द्वारा ही खरीदा गया। सहमति पत्र दिनांक 17.08.1994 को 10/-रूपये के स्टाम्प पर निष्पादित किया गया, जिस पर गीलूराम के सभी पुत्र सोहनलाल, मदनलाल, रामनिवास, निगराकार कन्हैयालाल एवं ओमप्रकाश के हस्ताक्षर हैं तथा स्व. गीलूराम द्वारा उक्त जायदाद इसके पश्चात् अर्जित की गई थी, जो मिसल सं. 35 संवत् 2035 में बिल एवज दिनांक 12.04.1981 को प्राप्त की थी और गीलूराम जी को उक्त जायदाद को

वसीयत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था और इसी आधार पर इन्होंने यह जायदाद गैर निगराकार सं. 01 को वसीयत की। इस बाबत एक इकरारनामा निगराकार द्वारा भी 5/- रूपये के स्टाम्प पर, स्वयं कर्य कर दिनांक 10.4.1990 को कर्य किया गया एवं 12.4.1990 को निष्पादित किया गया, जिसके पैरा सं. 02 पर भी इस प्लॉट बाबत निगराकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि "यह है कि पंचायत समिति के पास जो प्लॉट पिताजी गीलूराम के नाम से लिया गया था, उसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है व न अब आगे रहेगा।" निगराकार के खाली स्टाम्प व कागजों पर गैर निगराकार सं. 01 ने स्वयं निगराकार ग्राम पंचायत बनेडा में वार्ड पंच रहा हुआ है, जो कतई खाली कागजों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता, यह कथन निगराकार द्वारा गलत अंकित किया है। गीलूराम के अन्य पुत्र ओमप्रकाश एवं स्व. मदनलाल के पुत्र घनश्यामलाल एवं उनकी विधवा सोहनी देवी तथा अन्य पुत्र स्व. रामनिवास के पुत्र राजेश एवं उनकी विधवा कृष्णा देवी ने एक सहमति पत्र दिनांक 07.10.2015 को निष्पादित किया गया, जो नोटेरी पब्लिक से तस्दीकशुदा है, जिस पर निगराकार सहित गीलूराम के सभी वारिसान के हस्ताक्षर हैं एवं यह स्टाम्प स्वयं निगराकार कन्हैयालाल द्वारा कर्य किया गया था। जिससे साफ जाहिर है कि निगराकार ने यह निगरानी सारहीन तथ्यों पर पेश की है, जिससे यह निगरानी खारिज होने योग्य है। दिनांक 9.5.2016 को उक्त भूखण्ड में से 45 बाई 100 फीट कुल 4500 वर्गफीट क्षेत्र गैर निगराकार सं. 01 ने गैर निगराकार सं. 02 को वैध एवं कानूनी तरीके से विक्रय किया जो कतई निरस्ती योग्य नहीं है। अतः निवेदन है कि निगराकार की निगरानी सब्यय खारिज फरमायी जावे।

निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी एवं गैर निगराकार सं. 01 के जवाब का अध्ययन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों का भलीभांति परीक्षण कर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत बनेडा ने गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में ग्राम बनेडा की आबादी भूमि में 100 बाई 100 फीट यानि 10000 वर्ग फीट अर्थात् 1111.11 वर्ग गज का पट्टा दिनांक 5.2.2016 को जारी करने का निर्णय लिया जाकर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158(ख) के अंतर्गत 200/-रु. जमा कर पट्टा जारी किया गया। ग्राम पंचायत बनेडा की पत्रावली सं. 17 दायर दिनांक 19.12.2015 एवं कार्यवाही विवरण दिनांक 21.12.2015, 30.12.2015, 5.2.2016 की संलग्न हैं। इस पत्रावली में गैर निगराकार सं. 01 ने पुराना आवास गृह क्षेत्रफल 100 बाई 100 वर्गफीट का पट्टा बनाने हेतु सरपंच ग्राम पंचायत बनेडा को आवेदन प्रस्तुत किया। साथ में भूखण्ड का नजरी नक्शा व ग्राम पंचायत बनेडा की मौका निरीक्षण रिपोर्ट एवं सूचना पत्र संलग्न हैं। पुराने गृहों का विनियमितीकरण नियम 157 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 इस प्रकार है -

पुराने गृहों का विनियमितीकरण -

1. जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक हैं वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारूप 23-क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा।

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल -

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में 100/-रु. संनिर्मित पुराने गृहों के लिए ।

(ख) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षों के दौरान 200/-रु. संनिर्मित पुराने गृहों के लिए

158 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 इस प्रकार हैं -

भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन -

1. पंचायत , गांव आबादियों में (300 वर्ग गज) तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों , स्वच्छकारों, अनुसूचित जन जातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों को , गांव के कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों , एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों के पास स्वयं के गृहस्थल /गृह नहीं हैं और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये हैं या गृह स्थल बाढ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये हैं, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी ।

पुराने गृहों का विनिमितिकरण राजस्थान पंचायती राज नियम 157 के अंतर्गत 300 वर्ग गज क्षेत्रफल तक का ही 200/-रु. जमा करके पुराने गृहों का विनिमितिकरण किया जा सकता है , जबकि सरपंच ग्राम पंचायत बनेडा द्वारा गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में 1111.11 वर्ग गज का आबादी भूमि का पट्टा जारी कर दिया गया है । 300 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल के लिये राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत राशि जमा होगी , लेकिन ग्राम पंचायत बनेडा द्वारा अपने अधिकारों से परे जाकर उपरोक्त नियम के अंतर्गत 300 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल पर बाजार दर की राशि जमा नहीं करके राजस्व की हानि पहुंचाते हुये गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में विधि विरुद्ध आबादी भूमि का पट्टा जारी किया गया है ।

सरपंच ग्राम पंचायत बनेडा द्वारा पत्रावली में अंकित कार्यवाही विवरण दिनांक 05.02.2016 में गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में 158 (ख) के अंतर्गत 200/-रु. जमा कराकर पट्टा जारी करने का निर्णय अंकित किया है, जबकि 158 (ख) भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन करने का प्रावधान है । गैर निगराकार सं. 01 कमजोर वर्ग की श्रेणी में नहीं आते हैं एवं गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में 158 (ख) के अंतर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।

इस प्रकरण में पूर्व में निगराकार के पिता व गैर निगराकार सं. 01 के दादा गीलूराम पिता रामकरण पोरवाल के नाम पर ग्राम विकास पंचायत बनेडा द्वारा मिसल सं. 35 संवत् 2035 में बिल एवज 701/-रु. में दिनांक 12.04.1981 को आबादी भूमि विक्रय से प्राप्त करना बताया है, लेकिन निगराकार एवं गैर निगराकार द्वारा गीलूराम पिता रामकरण पोरवाल के नाम पर क्षेत्रफल 100 बाई 100 फीट का आबादी भूमि का पट्टा जारी होने का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है । जिससे यह नहीं माना जा सकता है कि ग्राम बनेडा की आबादी भूमि में गीलूराम पिता रामकरण पोरवाल निवासी बनेडा के नाम पर 100 बाई 100 फीट के भूखण्ड को पट्टा जारी किया गया हो ।

ग्राम पंचायत बनेडा के पट्टा सं. 19 दिनांक 5.2.2016 जारी होने के पश्चात् गैर निगराकार सं. 01 ने दिनांक 9.5.2016 को उक्त भूखण्ड में से 45 बाई

100 फीट कुल 4500 वर्गफीट क्षेत्र गैर निगराकार सं. 02 को विक्रय कर विक्रय पत्र का पंजीयन करवा दिया है। गैर निगराकार सं. 03 सरपंच ग्राम पंचायत बनेडा ने गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में ग्राम बनेडा की आबादी भूमि में 100 बाई 100 फीट का पट्टा सं. 19 दिनांक 5.2.2016 को 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा विधि विरुद्ध जारी किया गया है। उक्त पट्टे को जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145,146,147,148,149 की पालना नहीं की गई है। उक्त पट्टा विधि विरुद्ध जारी किया है जो प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य होकर अवैध है। उक्त अवैध पट्टे के आधार पर गैर निगराकार सं. 01 के द्वारा गैर निगराकार सं. 02 के पक्ष में भूखण्ड क्षेत्रफल 45 बाइ 100 फीट कुल 4500 वर्ग फीट का विक्रय पत्र पंजीयन करवाया है, जो निष्प्रभावी है।


इस प्रकार गैर निगराकार सं. 01 व ग्राम पंचायत बनेडा ने दुरभि संधि करके 100 बाई 100 फीट का आबादी का पट्टा गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी किया है।

सरपंच ग्राम पंचायत बनेडा ने 100 बाई 100 फीट का पुराने आवास का पट्टा 200/-रु. जमा करके गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा विधि विरुद्ध जारी किया है, जो प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य होकर अवैध है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145,146,147,148,149 की पालना ग्राम पंचायत बनेडा द्वारा नहीं की गयी है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव -

आदेश

निगराकार की निगरानी पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 विरुद्ध संकल्प सं. 15 दिनांक 5.2.2016 पट्टा क्रमांक 19 द्वारा ग्राम पंचायत बनेडा दिनांक 5.2.2016 को स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय संकल्प सं. 15 दिनांक 5.2.2016 पट्टा क्रमांक 19 द्वारा ग्राम पंचायत बनेडा दिनांक 5.2.2016 को विधि विरुद्ध होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ ग्राम पंचायत बनेडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे। आदेश की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति बनेडा को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(एन.आर.गुजरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
(भीलवाड़ा)